حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ
وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٢٣﴾ * وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ
مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ
ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ
مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ
بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ
وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ
وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ
فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ

خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

| Theme | |
|---|---|
| Women that are prohibited for marriage - Mahram relations. Prohibited and permitted marriages continued. Permission for marriage with slave girls. | वो औरतें जिनसे निकाह हराम है — महरम रिश्ते। निकाह के ममनूअ और जाइज़ रिश्तों के अहकाम का तसलसुल। लौंडियों से निकाह की इजाज़त। |
| **Tarjumani** | |
| Forbidden to you for marriage are: your mothers, your daughters, your sisters, your paternal aunts, your maternal aunts, daughters of your brothers, daughters of your sisters, your foster-mothers, your foster-sisters, the mothers of your wives, your stepdaughters under your guardianship from those wives with whom you have consummated your marriage, but there is no blame on you in marrying your stepdaughters if you have not consummated your marriage with their mothers, whom you have divorced, and also forbidden are the wives of your own real sons; and to take two sisters in wedlock at the same time, except what happened prior to this commandment; surely, Allah is Forgiving, Merciful. Also forbidden for you are married women, except those who have fallen in your hands | तुमपर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भाँजियाँ और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध-शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है | उन बीवियों की लड़कियाँ जिसने तुम्हारा ताल्लुके-जन व शौ हो चुका हो | वरना अगर (सिर्फ़ निकाह हुआ हो और) ताल्लुके-जन व शौ न हुआ हो तो (उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में) तुमपर कोई मुवाखज़ा नहीं है— और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी सुल्ब से हों | और यह भी तुमपर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शनेवाला और रहम करनेवाला है | और वे औरतें भी तुमपर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों (मुहसनात), अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तसना हैं जो (जंग में) तुम्हारे हाथ आएँ | यह अल्लाह का कानून है जिसकी पाबन्दी |

| | |
|---|---|
| as prisoners of war. This is the order of Allah relating to marriage prohibitions. All women, other than these, are lawful provided you seek them in marriage with gifts from your property (dowry), desiring chastity and not lust. Give them their dowry as an obligation for the benefit you have received from your marriage relationship. However, there is no blame on you if you change the agreement of dowry with mutual consent. Surely, Allah is the Knowledgeable, Wise. If any of you cannot afford to marry a free believing woman, let him marry a slave girl who is a believer; Allah knows how good you are in your faith. You are from one another. Marry them with the permission of their family and give them their fair dowry so that they may live a decent life in wedlock and not live as prostitutes or look for secret illicit relationships. Then, if after marriage they commit adultery, they shall be given half the punishment prescribed for a free adulteress. The concession of such a marriage is for those of you who fear that they might commit a sin if they do not get married, & but it is better for you to practice self-restraint. Allah is Forgiving, Merciful. | तुमपर लाज़िम कर दी गई है | इनके मासिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रीए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि हिसारे-निकाह में उनको महफूज़ करो, न यह कि आज़ाद शहवतरानी करने लगो | फिर जो अज़दवाजी ज़िन्दगी का लुत्फ तुम उनसे उठाओ उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो, अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामन्दी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हरज नहीं, अल्लाह अलीम और दाना है | और जो शख्स तुममें से इतनी मकदिरत न रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों (मुहसनात) से निकाह कर सके उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हों और मोमिना हों | अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल ख़ूब जानता है, तुम सब एक ही गरोह के लोग हो, लिहाज़ा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारुफ़ तरीक़े से उनके महर अदा कर दो, ताकि वे हिसारे-निकाह में महफूज़ (मुहसनात) होकर रहें, आज़ाद शहवतरानी न करती फिरें और न चोरी-छिपे आशनाइयाँ करें | फिर जब वे हिसारे-निकाह में महफूज़ हो जाएँ और उसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो उनपर उस सज़ा के बनिस्बत आधी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतों (मुसहनात) के लिए मुक़र्रर है | यह सहूलत तुममें से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी न करने से बन्दे-तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो | लेकिन अगर तुम सब्र |

| | |
|---|---|
| | करो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शनेवाला और रहम फरमानेवाला है। |
| **Tafsir** | |
| | |